राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–49 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री रौशन सागर, ग्राम–चमारी चक, पोस्ट–जमसौत, थाना–शाहपुर, जिला–पटना, बिहार, पिन–801503

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.10.2022	श्री रौशन सागर, ग्राम–चमारी चक, पोस्ट–जमसौत, थाना–शाहपुर, जिला–पटना, बिहार, पिन–801503 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–06.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक–07.10.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 819205 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रौशन सागर ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–04.08.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–04.08.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–04.08.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–.21.10.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 12/10/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—49 / 2022—23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.10.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री रौशन सागर, ग्राम—चमारी चक, पोस्ट—जमसौत, थाना—शाहपुर, जिला—पटना, बिहार, पिन—801503 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक—04.08.2022, जो दिनांक—10.08.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक—149 दिनांक—23.08.2022 के माध्यम से आवेदक को अपना निर्णय / सूचना संसूचित किया है कि यह मामला सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से संबंधित है तथा आवेदन सीधे महामहिम को संबोधित नहीं है। इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में कठिनाई है। *''डाक विभाग द्वारा पत्र को लौटा दिया गया है, यह अंकित करते हुये '' द्वारा का नाम अधूरा पता पत्र लौटाया जाता है''।* उपर्युक्त से प्रतीत होता है कि सही पता अंकित कर पत्र निर्गत नहीं किया गया था, चूंकि पता में ई—मेल, दूरभाष संख्या अंकित है तथा कहीं भी **'द्वारा'** अंकित नहीं है। विदित हो कि अपीलार्थी श्री सागर द्वारा निम्नांकित सूचना की मॉग अपने प्रपत्र *'क' दिनांक—04.08.2022 के माध्यम से किया है:—* *''राज्य सरकार का निर्णय—सह—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का संकल्प—1003 दिनांक—22.01.2021 की कंडिका—4 की उप कंडिका—3 (VI) के अधीन संविदा कर्मियों के संविदा समाप्ति के पश्चात संविदा कर्मियों द्वारा निर्धारित विभाग में सबंधित को अपील करने की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य संविदा कर्मियों को पुनः उसी विभाग में उसी पद पर पुनर्नियोजन की सुविधा प्रदान कराना है। कृपया इस संदर्भ में सूचना देने की कृपा प्रदान की जाय। यदि जॉच में संविदा कर्मी पर कोई आरोप प्रमाणित ना हो तो।''* उपर्युक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के निर्णय को संसूचित किया गया है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना का दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/10/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **—सह—** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	